



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1918]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2015/भाद्र 17, 1937

No. 1918]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2015/BHADRA 17, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2015

का.आ. 2453(अ).-केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 12 और धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

(2) उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में,-

(i) क्रम संख्यांक 1 के स्तंभ (3) के सामने,-

(क) मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) डा. विवेक नारायण सिंह”;

(ख) मद (3) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(3) श्री कुलेश कुमार दुबे”;

(ii) क्रम संख्यांक 8 के सामने,-

(क) स्तंभ (2) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

“मैसर्स सेसा स्टारलाइट लिमिटेड, सेसा पर्यावरण प्रयोगशाला, खनन खंड, कोडली खान, डाकघर, किराँपाले, गोवा-403722”;

(ख) स्तंभ (3) में मद (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(3) सुश्री सयादिली एस.सिनारी”

(iii) क्रम संख्या 12 के स्तंभ (3) में, मद (2) और मद (3) के स्थान पर निम्नलिखित मद क्रमशः रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(2) श्री सागर धर्मराज सूरवासे

(3) श्रीमती अमृता गिरीश जोशी”;

(vi) क्रम संख्या 46 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (2) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) श्री बी. मारुति राव”;

(v) क्रम संख्या 103 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (3) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(3) श्री अच्युतानंद सतपथी”;

(vi) क्रम संख्या 109 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (2) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) श्री एस. अरुल सेलवन”;

(vii) क्रम संख्यांक 112 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (1), मद (2) और मद (3) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(1) श्री एम. रमेश

(2) श्री जी वेलीनाथन

(3) श्री बी. अरुणा” ।

[फा. सं. क्यू. 15018/23/2013-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. सं. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात अधिसूचना संख्याओं का.आ. 1539(अ), तारीख 13 सितंबर, 2007, का.आ. 1811(अ), तारीख 24 अक्टूबर 2007, का.आ. 55(अ), तारीख 9 जनवरी, 2008, का.आ. 428(अ), तारीख 4 मार्च 2008, का.आ. 865(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008, का.आ. 1894(अ), तारीख 31 जुलाई, 2008, का.आ. 2728(अ), तारीख 25 नवंबर, 2008, का.आ. 1356(अ), तारीख 27 मई, 2009, का.आ. 1802(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009, का.आ. 2399(अ), तारीख 18 सितंबर, 2009, का.आ. 3122(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2009, का.आ. 3123(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2009, का.आ. 142(अ), तारीख 21 जनवरी, 2010, का.आ. 619(अ), तारीख 19 मार्च, 2010, का.आ. 1662(अ), तारीख 13 जुलाई, 2010, का.आ. 2390(अ), तारीख 30 सितंबर, 2010, का.आ. 2904(अ), तारीख 8 दिसंबर, 2010, का.आ. 181(अ), तारीख 28 जनवरी, 2011, का.आ. 692(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2011, का.आ. 1537(अ), तारीख 6 जुलाई, 2011, का.आ. 1754(अ), तारीख 28 जुलाई, 2011, का.आ. 2609(अ), तारीख 22 नवंबर, 2011, का.आ. 264(अ), तारीख 13 फरवरी, 2011, का.आ. 1150(अ), तारीख 22 मई, 2012, का.आ. 2039(अ), तारीख 5 सितंबर, 2012, का.आ. 2802(अ), तारीख 27 नवंबर, 2012, का.आ. 2850(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2012, का.आ. 592(अ), तारीख 8 मार्च, 2013, का.आ. 945(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2013, का.आ. 2287(अ), तारीख 27 जुलाई, 2013, का.आ. 2288(अ), तारीख 27 जुलाई, 2013, का.आ. 3489(अ), तारीख 26 नवंबर, 2013, का.आ. 21(अ), तारीख 3 जनवरी, 2014, का.आ. 561(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014, का.आ. 1205(अ), तारीख 5 मई, 2014, का.आ. 1190(अ), तारीख 2 मई, 2014, का.आ. 2003(अ), तारीख 6 अगस्त, 2014 और का.आ. 137(अ), तारीख 12 जनवरी, 2015 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2015

S.O., 2453(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 12 and section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1174(E), dated the 18th July, 2007, namely :-

2. In the Table appended to the said notification,-

(i) against serial No. 1, in column No. (3),-

(a) for item (1), the following item shall be substituted, namely :-

“(1) Dr. Vivek Narayan Singh”;

(b) for item (3), the following item shall be substituted, namely :-

“(3) Mr. Kulesh Kumar Dubey”;

(ii) against serial No. 8,-

(a) in column (2), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

(vi) क्रम संख्या 46 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (2) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) श्री बी. मारुति राव”;

(v) क्रम संख्या 103 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (3) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(3) श्री अच्युतानंद सतपथी”;

(vi) क्रम संख्या 109 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (2) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) श्री एस. अरुल सेलवन”;

(vii) क्रम संख्यांक 112 के सामने, स्तंभ (3) में, मद (1), मद (2) और मद (3) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(1) श्री एम. रमेश

(2) श्री जी वेलीनाथन

(3) श्री बी. अरुणा” ।

[फा. सं. क्यू. 15018/23/2013-सीपीडब्ल्यू]

डा. राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. सं. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात अधिसूचना संख्याओं का.आ. 1539(अ), तारीख 13 सितंबर, 2007, का.आ. 1811(अ), तारीख 24 अक्टूबर 2007, का.आ. 55(अ), तारीख 9 जनवरी, 2008, का.आ. 428(अ), तारीख 4 मार्च 2008, का.आ. 865(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008, का.आ. 1894(अ), तारीख 31 जुलाई, 2008, का.आ. 2728(अ), तारीख 25 नवंबर, 2008, का.आ. 1356(अ), तारीख 27 मई, 2009, का.आ. 1802(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009, का.आ. 2399(अ), तारीख 18 सितंबर, 2009, का.आ. 3122(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2009, का.आ. 3123(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2009, का.आ. 142(अ), तारीख 21 जनवरी, 2010, का.आ. 619(अ), तारीख 19 मार्च, 2010, का.आ. 1662(अ), तारीख 13 जुलाई, 2010, का.आ. 2390(अ), तारीख 30 सितंबर, 2010, का.आ. 2904(अ), तारीख 8 दिसंबर, 2010, का.आ. 181(अ), तारीख 28 जनवरी, 2011, का.आ. 692(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2011, का.आ. 1537(अ), तारीख 6 जुलाई, 2011, का.आ. 1754(अ), तारीख 28 जुलाई, 2011, का.आ. 2609(अ), तारीख 22 नवंबर, 2011, का.आ. 264(अ), तारीख 13 फरवरी, 2011, का.आ. 1150(अ), तारीख 22 मई, 2012, का.आ. 2039(अ), तारीख 5 सितंबर, 2012, का.आ. 2802(अ), तारीख 27 नवंबर, 2012, का.आ. 2850(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2012, का.आ. 592(अ), तारीख 8 मार्च, 2013, का.आ. 945(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2013, का.आ. 2287(अ), तारीख 27 जुलाई, 2013, का.आ. 2288(अ), तारीख 27 जुलाई, 2013, का.आ. 3489(अ), तारीख 26 नवंबर, 2013, का.आ. 21(अ), तारीख 3 जनवरी, 2014, का.आ. 561(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014, का.आ. 1205(अ), तारीख 5 मई, 2014, का.आ. 1190(अ), तारीख 2 मई, 2014, का.आ. 2003(अ), तारीख 6 अगस्त, 2014 और का.आ. 137(अ), तारीख 12 जनवरी, 2015 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2015

S.O., 2453(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 12 and section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1174(E), dated the 18th July, 2007, namely :-

2. In the Table appended to the said notification,-

(i) against serial No. 1, in column No. (3),-

(a) for item (1), the following item shall be substituted, namely :-

“(1) Dr. Vivek Narayan Singh”;

(b) for item (3), the following item shall be substituted, namely :-

“(3) Mr. Kulesh Kumar Dubey”;

(ii) against serial No. 8,-

(a) in column (2), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“M/s. Sesa Sterlite Ltd, Sesa Environmental Laboratory, Mining Division, Codli Mines, P.O. Kirlapale, Goa-403727”;

(b) in column (3), for item (3), the following item shall be substituted, namely:-

“(3) Ms. Sayadri. S. Sinari”;

(iii) against serial No. 12, in column (3), for items (2) and (3), the following items shall respectively be substituted, namely:-

“(2) Mr. Sagar Dharmaraj Surwase

(3) Mrs. Amruta Girish Joshi”;

(iv) against serial No. 46, in column (3), for item (2), the following item shall be substituted, namely:-

“(2) Mr. B. Maruthi Rao”;

(V) against serial No. 103, in column (3), for item (3), the following item shall be substituted, namely:-

“(3) Mr. Achyutananda Satapathy”;

(vi) against serial No. 109, in column (3), for item (2), the following item shall be substituted, namely:-

“(2) Mr. S. Arul Selvan”;

(vii) against serial No. 112, in column (3), for items (1), (2) and item (3), the following items shall respectively be substituted, namely:-

“(1) Mr. M. Ramesh

(2) Mr. G. Vellinathan

(3) Mr. B. Arunan”;

[F. No.Q.15018/23/2013-CPW]

Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 1174 (E), dated the 18th July, 2007 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 1539 (E), dated the 13th September, 2007, S.O.1811(E), dated the 24th October, 2007, S.O.55(E), dated 9th January, 2008, S.O.428(E), dated the 4th March, 2008, S.O.865(E) dated the 11th April, 2008, S.O.1894(E) dated the 31st July,2008, S.O.2728(E) dated the 25th November, 2008, S.O.1356(E) dated the 27th May, 2009, S.O.1802(E) dated the 22nd July, 2009, S.O.2399(E), dated the 18th September, 2009, S.O.3122(E), dated the 7th December, 2009, S.O.3123(E), dated the 7th December, 2009, S.O. 142(E), dated the 21st January, 2010, S.O.619(E) dated the 19th March, 2010, S.O.1662(E) dated the 13th July,2010, S.O.2390(E), dated the 30th September, 2010, S.O.2904(E), dated the 8th December, 2010, S.O.181(E), dated the 28th January, 2011, S.O. 692(E), dated the 5th April, 2011, S.O.1537(E), dated the 6th July,2011, S.O.1754(E), dated the 28th July,2011 S.O.2609 (E) dated the 22nd November, 2011, S.O.264 (E), dated the 13th February, 2012, S.O.1150(E), dated the 22nd May, 2012, S.O.2039(E), dated the 5th September,2012, S.O. 2802(E) dated the 27th November, 2012, S.O. 2850(E), dated the 7th December, 2012, S.O. 592 (E), dated the 8th March, 2013, S.O.945(E), dated the 8th April, 2013,S.O.2287(E), dated the 27th July, 2013, S.O.2288(E), dated the 27th July, 2013, S.O.3489(E) dated the 26th November, 2013, S.O.21(E), dated 3rd January, 2014 and S.O.561(E), the 26th February, 2014, S.O.1205(E), the 5th May, 2014, S.O.1190(E), dated the 2nd May, 2014; S.O.2003(E), dated the 6th August, 2014 and S.O.137(E),dated the 12th January, 2015.